

१४५.

जिला बैतिक शिक्षा अधिकारी,

४३।

सेवा मं.

पुस्तक, छिपानी करने के दबाव  
मन्यव-मृदु। लिखने की सुन्दरी।

पत्रांक- प्रा० वि० मा०/ 6)

/2000-2001 दिनांक- २७-६-२००८

विषय :- प्राइमरी पाठ्याला क्षा । से ५ तक स्थायी मान्यता प्रदान करने के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में सूच्य है कि हेतीय  
सहायक बैतिक शिक्षा अधिकारी/उपबैतिक शिक्षा अधिकारी की आवधा एवं संस्थानित  
पर जिला मान्यता समिति के निर्णय के आधार पर आपके विद्यालय को क्षा । से ५ तक  
प्राइमरी तिर तकी स्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत  
करने की तिथि ते प्रदान की जाती है।

- 1- विद्यालय समिति पर्याकृत हो तथा समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
- 2- सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों। कोई अशिक्षित अध्यापक मान्य नहीं होगा।
- 3- सभी अध्यापकों को बैतिक शिक्षा परिषदीय अध्यापक के बराबर वेतन दिया जाय।
- 4- सभी व्याजों के लिये दिनांक क्षा पर्याकृत बनाये जायं तथा विद्यालय भवन जिस  
भूमि पर हो वह विद्यालय के नाम हो।
- 5- विभाग द्वारा समय - समय पर निर्गत नियमों का पालन किया जाय।
- 6- रूपये- 1000.00 [एक हजार रुपये मात्र] सुरक्षित कोष के रूप में जमा हो तथा  
जिला बैतिक शिक्षा अधिकारी के पद नाम से एमेज हो।
- 7- विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क लिपा जाय।
- 8- विभाग द्वारा किसी पुणार की हाति पुर्ति/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की  
जायेगी।
- 9- विभाग द्वारा त्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का ही उपयोग किया जायेगा।
- 10- विद्यालय के नाम 2000 वर्ग मीटर के का भैदान हो जो वर्गाकार हो।
- 11- विभाग आदेशों / निर्देशों का अनुपालन न करने अव्याधि किसी तथ्य को छिपाकर  
मान्यता लेने की दशा में आपकी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त  
कर दी जायेगी।

महादीय,

  
जिला बैतिक शिक्षा अधिकारी

मृ।

P. Jaisi.

PRINCIPAL  
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)  
MAU

MANAGER  
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL  
NIZAMUDDIN PURA  
MAU